झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान-सभा

भारतीय पथकर (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2002

(सभा द्वारा यथापारित)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

भारतीय पथकर (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2002

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय-सूची।

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

2. भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 की धारा–2 का संशोधन।

भारतीय पथकर (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2002

(सभा द्वारा यथापारित)

भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना :

चूँकि झारखण्ड राज्य के बहुमुखी विकास के हित में राज्य की सड़कों और / अथवा पुलों का समुचित विकास, निर्माण पुनर्निर्माण, मरम्मती, परिचालन और / अथवा अनुरक्षण के लिए उपबन्ध करना समीचीन है और संसाधनों की मजबूरी और इस क्रिया कलाप के लिए राज्य द्वारा पर्याप्त निधि आबंटित करना संभव नहीं हो पाने के कारण वैसे व्यक्तियों को जो व्यय करने को तैयार हों, अकर्षित करने के लिए भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (अधिनियम – 8, 1851) (जैसा कि झारखण्ड राज्य में लागू है) में प्रावधान निगमित करने हेतु राज्य सरकार को निम्नलिखित के लिए समर्थ करना आवश्यक हो गया है :–

1. राज्य में सड़कों और / अथवा पुलों (राष्ट्रीय उच्च पथ एवं उनपर अवस्थित पुलों के अलावा) के विकास और अनुरक्षण के संबंध में किसी व्यक्ति से करार करने;

2. फीस उद्ग्रहण करने तथा किसी ऐसे व्यक्ति को फीस संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत करने, जिसने सड़कों और / अथवा पुलों का विकास करने का जिम्मा लिया हो;

3. ऐसी सड़कों और / अथवा पुलों पर यातायात नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को सशक्त करने; और

4. ऐसी सड़कों और / अथवा पुलों को क्षति पहुँचाने की रिष्टि करने के लिए सजा का उपबंध करने।

इसलिए भारतीय गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ – (i) यह अधिनियम भारतीय पथकर (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम 2002 कहा जाएगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

2. भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 की धारा–2 का संशोधन – भारतीय पथकर अधिनियम 1851 की धारा – 2 के बाद दो नई धारा '2क' एवं '2ख' को निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाएगा।

'2क' सड़कों और / अथवा पुलों (राष्ट्रीय उच्च पथ एवं उसपर अवस्थित पुलों के सिवाए) का विकास, निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मती, परिचालन और / अथवा अनुरक्षण :–

(i) इस अधिनियम तथा तत्समय प्रवृत इस अधिनियम तथा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सड़कों और / अथवा पुलों (राष्ट्रीय उच्च पथ एवं उस पर अवस्थित पुलों के सिवाए) के विकास, निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मती, परिचालन और / अथवा अनुरक्षण करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ विनिर्दिष्ट एकरारनामा करके उस व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगी ।

(ii) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (i) में निर्देशित व्यक्ति, अपने द्वारा दी गई सेवा या प्रसुविधाओं के लिए उस दर से फीस संग्रहीत करने तथा प्रतिधारित करने का हकदार होगा जो सड़कों और / अथवा पुलों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन में राज्य सरकार, अंतर्ग्रस्त व्यय, विनिहित की गई पूँजी पर ब्याज, यातायात की मात्रा और ऐसे करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(iii) उपधारा (iii) में निर्देशित व्यक्ति, समुचित प्रबंधन के लिए ऐसे एकरारनामें की विषय – वस्तु के संबंध में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय – 8 के प्रावधानों के अनुसार उच्च पथ पर यातायात को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए सशक्त होगा।

'2ख' सड़कों और / अथवा पुलों की क्षति पहुँचाने की रिष्टि करने के लिए सजा :–

जो कोई भी ऐसा कार्य करके, जिसके बारे में वह जानता हो कि इससे धारा '2क' की उपधारा (i) में निर्देशित सड़कों और / अथवा पुलों से माल ढुलाई या यात्रा अगम्य या कम सुरक्षित हो जाएगी, रिष्टि करता है तो उसे पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :–

इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्त 'कोई व्यक्ति' में कोई कम्पनी अथवा संगम या व्यष्टि संगम (चाहे निगमित हो या नहीं) अथवा फर्म सम्मिलित होंगे।

यह विधेयक भारतीय पथकर (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2002 दिनांक 24 अगस्त, 2002 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 24 अगस्त, 2002 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (पथ) 1-100--24-8-2002--शनि मुण्डा ।